

कार्यालय महालेखाकार (लेखा एवं हक0) द्वितीय, उत्तर प्रदेश, प्रयागराज


पत्रांक: AE-2/03/WM-I/Gr.IV/241/2021/Vol.V/1174

दिनांक: 05.03.2024

कार्यालय आदेश

1. परिवीक्षाधीन खण्डीय लेखाकारों को क्रियात्मक प्रशिक्षण के तृतीय चरण हेतु लोक निर्माण/सिंचाई खण्डों में दिनांक 15.03.2024 से 14.07.2024 तक के लिए प्रारम्भिक लेखों के सम्बन्ध में गहन ज्ञान तथा स्टोर लेखे तैयार करने की पूर्ण जानकारी प्राप्त करने हेतु संलग्नक-1 में उनके नाम के सम्मुख अंकित लोक निर्माण/सिंचाई खण्डों में सम्बद्ध किया जाता है।
2. संलग्नक 2 एवं 3 में दिये गये विवरण के अनुसार क्रियात्मक प्रशिक्षण का विस्तृत कार्यक्रम संबंधित अधिशासी अभियंता द्वारा निर्धारित किये जायेंगे तथा खण्डों में पदस्थापित खण्डीय लेखाकार/खण्डीय लेखाधिकारी परिवीक्षाधीन खण्डीय लेखाकार को प्रशिक्षण देंगे।
3. खण्डों में क्रियात्मक प्रशिक्षण की अवधि में प्रत्येक परिवीक्षाधीन खण्डीय लेखाकार संलग्नक-4 के प्रपत्र में दैनिक कार्य की डायरी करेंगे तथा प्रति माह उसे अपने मूल खण्ड के अधिशासी अभियन्ता को प्रशिक्षण प्राप्त कर रहे खण्ड के खण्डीय लेखाकार/खण्डीय लेखाधिकारी तथा अधिशासी अभियंता की आख्या के साथ प्रस्तुत किया जायेगा। संबन्धित माह की डायरी अगले माह की 5 तारीख तक अवश्य अग्रसारित कर दिया जाये।
4. नियमानुसार देय आकस्मिक अवकाश संबंधित अधिशासी अभियन्ता द्वारा स्वीकृत किये जायेंगे तथा प्रशिक्षणार्थी के मूल खण्ड को अवगत कराया जायेगा। अर्जित अवकाश व अन्य प्रकार के अवकाश के प्रार्थना पत्र तथा सेवा से संबन्धित अन्य मामले इस कार्यालय को अग्रसारित किये जायेंगे।
5. क्रियात्मक प्रशिक्षण के दौरान परिवीक्षाधीन खण्डीय लेखाकार अपने वेतन एवं भत्ते अपने मूल खण्ड से आहरित करते रहेंगे। क्रियात्मक प्रशिक्षण प्रारम्भ करने के समय संलग्नक-1 में उल्लिखित लोक निर्माण विभाग/सिंचाई विभाग के खण्डों में योगदान करना होगा तथा योगदान की सूचना से इस कार्यालय को भी अवगत कराना होगा।
6. उपरोक्त अवधि का प्रशिक्षण पूर्ण होने के पश्चात खण्डीय लेखाकार (परिवीक्षाधीन) को प्रशिक्षण स्थान से उनके मूल खण्ड के लिये अग्रोत्तर प्रशिक्षण हेतु अवमुक्त करते हुये इस कार्यालय को सूचित किया जायेगा।
7. परिवीक्षाधीन खण्डीय लेखाकार को वास्तविक यात्रावधि एवं किराया देय होगा।

संलग्नक: यथोक्त।


उपमहालेखाकार/डी०ए०सी०सी०

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-


1. सचिव, महालेखाकार, कार्यालय महालेखाकार (ले० एवं हकदारी)-द्वितीय, उ० प्र०, प्रयागराज ।
2. वरिष्ठ लेखाधिकारी/पेंशन एवं निधि कार्यालय महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) द्वितीय; उ०प्र०, प्रयागराज को इस आशय के साथ प्रेषित है कि उनके अधीन प्रशिक्षण प्राप्त कर रहे खण्डीय लेखाकारों (परि०) को दिनांक 14.03.2024 को अपराह्न में निर्माण विविध-1 अनुभाग हेतु अवमुक्त करना सुनिश्चित करें।
3. संलग्नक 1 में उल्लिखित अभ्यर्थी के नाम के सम्मुख कालम-5 में अंकित संबंधित खंडों के अधिशासी अभियंता तथा खंड में तैनात खंडीय लेखाकार/लेखाधिकारियों को कार्यालय की वेबसाइट के माध्यम से अनुरोध है कि परिवीक्षाधीन खण्डीय लेखाकार को प्रशिक्षण दिया जाना सुनिश्चित करें। खण्ड में प्रशिक्षण की समाप्ति के पश्चात अधिशासी अभियंता द्वारा इस कार्यालय को निम्नलिखित सूचनार्थ प्रेषित की जायेंगी।
(अ) परिवीक्षाधीन खण्डीय लेखाकार के ज्ञान व नियमों को समझने की क्षमता।
(ब) क्या परिवीक्षाधीन खण्डीय लेखाकार नियमित रूप से उपस्थित रहे। यदि नहीं तो क्या कारण थे?
4. संलग्नक 1 के सम्मुख कालम-4 में अंकित संबंधित अधिशासी अभियंता जहां खंडीय लेखाकार (परि०) मूल रूप से तैनात हैं को कार्यालय की वेबसाइट के माध्यम से ।
5. संलग्नक 1 में उल्लिखित सभी संबंधित खण्डीय लेखाकारों (परि०) को निर्देशित किया जाता है कि प्रशिक्षण हेतु जारी कार्यालय आदेश को इस कार्यालय की वेबसाइट से डाउनलोड कर प्रशिक्षण हेतु संबंधित खंड के अधिशासी अभियंता को अपनी योगदान आख्या प्रस्तुत करें।
6. वरिष्ठ लेखाधिकारी/निर्माण विविध- द्वितीय, को संबंधित व्यक्तिगत पत्रावली हेतु।
7. वरिष्ठ लेखाधिकारी/कम्प्यूटर सेल, कार्यालय महालेखाकार (ले० एवं हक०)-द्वितीय, उ० प्र०, प्रयागराज को इस कार्यालय आदेश को कार्यालय की वेबसाइट में अपलोड करने हेतु।

वरिष्ठ लेखाधिकारी नि०वि०-1

संलग्नक-1

SL.NO. (1)	NAME, S/SHRI (2)	P.NO (3)	PRESENT PLACE OF POSTING (4)	PROPOSED PLACE OF POSTING (5)
1.	Shubham Tiwari	1691	Ex. Er. Irrigation Division -2, Sultanpur	PROVINCIAL DIVISION, PWD, SULTANPUR
2.	Gaurav Chandel	1692	Ex. Er. Tubewell Division Saharanpur	PROVINCIAL DIVISION, PWD, SAHARANPUR
3.	Apoorva Gupta	1693	Ex. Er. Irrigationn Division, Bijnore	PROVINCIAL DIVISION, PWD, BIJNORE
4.	Ashna Bajpai	1694	Ex .Er. Tubewell Division, Shahjahanpur	PROVINCIAL DIVISION, PWD, SAHJAHANPUR
5.	Khushi Ram Meena	1695	Ex. Er. Mechanical Division, PWD, Saharanpur	IRRIGATION CONSTRUCTION DIVISION, SAHARANPUR
6.	Abhishek Yadav	1696	Ex. Er. Electric & Mechanical Division, PWD, Jhansi	IRRIGATION CONSTRUCTION DIVISION-5, JHANSI
7.	Ankit Singh	1697	Ex. Er. SSK-49, Sultanpur	PROVINCIAL DIVISION, PWD, SULTANPUR
8.	Gaurav Kumar Das	1698	Ex. Er. C.M.D. Kalagarh, Bijnore	PROVINCIAL DIVISION, PWD, BIJNORE
9.	Vishnu Kumar	1699	Ex. Er. Quality Control Division, Jhansi	PROVINCIAL DIVISION, PWD, JHANSI
10.	Divesh Ranjan	1700	Ex. Er. Kanhar Nahar Pariyojna Khand-6, Mirzapur	PROVINCIAL DIVISION, PWD, MIRZAPUR
11.	Rahul Kumar	1701	Ex. Er. Tubewell Division, Chandausi, Sambhal	PROVINCIAL DIVISION, PWD, CHANDAUSI SAMBHAL
12.	Suyash Bajpai	1703	Ex. Er. Irrigation Division, Lakhimpur Kheeri	PROVINCIAL DIVISION, PWD, LAKHIMPUR KHERI
13.	Manish Gautam	1705	Ex. Er. Drainage Khand, Fatehpur	PROVINCIAL DIVISION, PWD, FATEHPUR
14.	Himanshu Kumar Harit	1707	Ex. Er. Minor Irrigation Division, Bareilly	PROVINCIAL DIVISION, PWD, BAREILLY
15.	Pawan kumar	1708	Ex. Er. Tubewell Division-2, Bareilly	PROVINCIAL DIVISION, PWD, BAREILLY
16.	Vijay Mishra	1709	Ex. Er. Irrigation Division, Kaushambi	PROVINCIAL DIVISION, PWD, KAUSHAMBI
17.	Mohd. Nasr Zaidi	1710	Ex. Er. I & P (WR) Division, Bareilly	PROVINCIAL DIVISION, PWD, BAREILLY
18.	Lakshay Rana	1711	Ex. Er. Minor Irrigation Division, Shajahanpur	PROVINCIAL DIVISION, PWD, SAHJAHANPUR

19.	Bhupendra Shahu	1712	Ex. Er. Ken Betwa Link Canal Construction Division-2, Banda	PROVINCIAL DIVISION, PWD, BANDA
20	Harish Kumar Meena	1713	Ex. Er. Irrigation Construction Division-1, Jhansi	PROVINCIAL DIVISION, PWD, JHANSI
21.	Ayush Kumar Singh	1714	Ex. Er. Irrigation Division, Raebareli	PROVINCIAL DIVISION, PWD, RAEBARELI
22.	Sumit	1716	Ex. Er. CSD-III, Kalagarh Bijnore	PROVINCIAL DIVISION, PWD, BIJNORE
23.	Vivek Maury	1717	Ex. Er. Devkali Pump Nahar Khand-2, Gazipur	PROVINCIAL DIVISION, PWD, GAZIPUR
24.	Krishna Kant Sharma	1718	Ex. Er. Tubewell Construction Division, Badaun	PROVINCIAL DIVISION, PWD, BADAUN
25.	Raj Kumar	1719	Ex. Er. Badaun Irrigation Project Construction Division, Badaun	PROVINCIAL DIVISION, PWD, BADAUN
26.	Vishubh Singh	1720	Ex. Er. Irrigation Division-3, Banda	PROVINCIAL DIVISION, PWD, BANDA
27.	Shwetank Singh	1724	Ex. Er. Lift Canal Division, Jhansi	PROVINCIAL DIVISION, PWD, JHANSI
28.	Ashish Chauhan	1725	Ex. Er. SSK-6, Raebareli	PROVINCIAL DIVISION, PWD, RAEBARELI
29.	Arjun Kumar	1732	Ex. Er. Tubewell Division Gonda	PROVINCIAL DIVISION, PWD, GONDA


05/13/24


Sr. Accounts Officer/W.M-I

संलग्नक-2

क्रियात्मक प्रशिक्षण अवधि एक माह :-

उपखंड में प्रशिक्षण के लिये कार्यों का विवरण:-

1. उपखंड की कार्य विधि का ज्ञान ।
2. रोकड़ बही का प्रविष्टिया।
3. माप पुस्तिका की जाँच जिनके आधार पर श्रमिकों का भुगतान, ठेकोदारों के भुगतान, कार्यादेश एवं अनुबन्धों के सम्बंध में की गयी कार्यवाही तथा कार्य समाप्ति हेतु निर्धारित अवधि का अंकन ।
4. कुछ मस्टर रोल,अग्रदायों,अग्रिम की जांच आई
5. स्टॉक एवं टूल्स एवं प्लांट प्रतिवेदनो की जाँच ।फार्म 9/5 एस , 10/6 एस,13/5 टी तथा 14/6 टी को तैयार करना एवं उसका रखरखाव ।
6. ठेकोदारों के देयकों की जाँच ।
7. कार्यस्थल,लेखा फार्म -35/5 एस0 की जाँच ।
8. वर्क्स एब्सट्रेक्ट को तैयार करना एवं उनकी जाँच ।
9. प्राप्त निविदाओ के तुलनात्मक विवरण पत्रको की जाँच ।
10. उप खण्डों द्वारा भेजे जाने वाले लेखों को तैयार करने में सहायता ।




वरिष्ठ लेखाधिकारी/नि०वि०-।

संलग्नक-3

कियात्मक प्रशिक्षण सम्बन्धित विवरण:

खंडीय कार्यालय -3 माह

1. खण्डीय कार्यालय के कार्यविधि का ज्ञान ।
2. उप खण्डीय कार्यालय के कार्य विवरण क्रमांक 2 से 9 (संलग्नक 2 के अनुसार) ।
3. निविदा दस्तावेजों की पंजीयन के पूर्व की जाँच।
4. उप खण्डों से प्राप्त प्रतिवेदन द्वारा स्टॉक फार्म 12/4 एस (संख्या व मूल्य) तथा टूल्स व प्लांट 4 टी की तैयारी।
5. स्टॉक निर्गम दर का निर्धारण, संग्रहण तथा उपरिव्यय को सम्मिलित करते हुए।
6. उप खण्डों एवं खण्डों के शेषों में विसंगतियों को इंगित तथा उसका मिलान ।
7. लेखे में स्टॉक फार्मों का अंकन ।
8. अंतरण कार्यों के रजिस्टर में इन्द्राज (मुख्य एवं लघु) अनियमितताओं को इंगित करना तथा उन तथ्यों की जानकारी करना जिन पर तुरन्त कार्यवाही आवश्यक है।
9. अंतरण प्रविष्टि सार तथा खण्डीय कार्यालय से अंतरण आदि का बनाया जाना।
10. मासिक लेखे का संकलन-1 फार्म 80-81, 74, 77, 51 व 76 इत्यादि तैयार करना ।
11. अधिष्ठान बिल, शिड्यूल, अग्रिमों की स्वीकृति सामान्य भविष्य निधि चतुर्थ श्रेणी के लेखाओं के रख-रखाव आदि की जाँच करना।
12. वेतन व यात्रा अग्रिमों की सह रोकड़ बही की जाँच ।
13. अधिष्ठान के फार्म-2 अथवा वेतन व अन्य बिल रजिस्ट्रों की जाँच करना ।
14. कार्य भारित अधिष्ठान कर्मचारियों के भुगतान बिलों की जाँच ।
15. अदत्त मजदूरियों से सम्बन्धित रजिस्ट्रों की जाँच ।
16. कार्यों के प्राक्कलन को बन्द करना एवं कार्य लेखे के उच्चन्त शीर्षों के अवशेषों के निस्तारण हेतु कृत कार्यवाही
17. नकद समायोजन उच्चन्त लेखापंजी का रख-रखाव व उनके देयक भेजना व उनका भुगतान ।
18. सामग्री क्रय समायोजन उच्चन्त लेखा रजिस्टर में मदों की प्रविष्टियाँ तथा निस्तारण हेतु कृत कार्यवाही ।
19. विविध लोक निर्माण अग्रिम पंजी में मदों की प्रविष्टि एवं निस्तारण हेतु कृत कार्यवाही ।
20. ब्याज सहित प्रतिभूतियों के लेखों की जाँच तथा वापस के कुछ प्रकरणों की जाँच ।
21. विभिन्नता प्रकरण प्राक्कलन के संदर्भ में विस्तार एवं फेर बदल की अतिरिक्त मदों का देखा जाना एवं खण्ड के कार्य कलापों से अवगत होना ।
22. औजार एवं संयंत्रों, स्टॉक रजिस्ट्रों के अर्द्धवार्षिक व वार्षिक बन्दी, स्टॉक की समीक्षा, हानि व लाभ के कारणों की समीक्षा ।
23. रोकड़ बही तथा वाउचर आदि के वर्गीकरण की जांच।
24. ठेकेदारों से वसूल किये जाने वाले अन्य देयों तथा जारी सामग्री एवं बिलों की ठेकेदारी के खाते में प्रविष्टि करना ।
25. अन्य लेखे सम्बन्धी कार्यवाही।


वरिष्ठ लेखाधिकारी/नि०वि०-1

संलग्नक-4

दैनिक कार्य की डायरी (तिथिवार)

दिनांक	कृत कार्य का विवरण

नोट - अवकाश की अवस्था में भी डायरी करें ।

हस्ताक्षर

परिवीक्षाधीन खण्डीय लेखाकार

खण्डीय लेखाधिकारी की आख्या

हस्ताक्षर/खण्डीय लेखाकार/खण्डीय लेखाधिकारी

अधिशायी अभियंता की आख्या

हस्ताक्षर

अधिशायी अभियंता